135

न्यायालय श्री मान म0प्र0 राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

Rs. 10/-

III / 4 निगरानी / 2017 / 2754

1- रामवदन द्विवेदी तनय स्व0 रोहणी प्रसाद द्विवेदी उम्र 70 वर्ष पेशा खेती,

2- राजमणि द्विवेदी तनय स्व0 ददई राम द्विवेदी उम्र 72 वर्ष पेशा खेती ,

3- दिरगजिया पुत्री स्व0 ददई राम उम्र 65 वर्ष पेशा घरूकार्य ,

अधि0 श्री शिवशंकर पाठक द्वारा पेश / 21-8-17

सभी निवासी ग्राम कोनी ‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌(तलरी) तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0 -
----- निगरानी कर्ता गण

बनाम

हरिशंकर द्विवेदी तनय स्व0 श्री शिव प्रसाद द्विवेदी उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम कोनी (तलरी) तह0 जवा जिला रीवा म0प्र0 --- गैर निगरानी कर्ता
2- शासन म0प्र0 ----

निगरानी विरूद्ध ख0 क्र0 1358 रकबा 5=447 हे0 स्थित ग्राम कोनी तह0 जवा जिला रीवा स्थित आराजी मे राजस्व निरीक्षक अतरैला द्वारा की गयी नक्शा तरमीम की कार्यवाही मे निरस्त किया जाकर पूर्ववत नक्शा बहाल किये जाने हेतु ,

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू0 रा0 सं0 ,

मान्यवर ,

आवेदन पत्र के आधार निम्न लिखित है :--

(1) यह कि उक्त उन्मान प्रकरण माननीय न्याया0 मे विचाराधीन था , जो दि0- 19-7-017, को आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति की वजह से अदम पैरवी मे निरस्त हो गया है ।

(2) यह कि आवेदक गण / निगरानी कर्ता गण उक्त प्रकरण की पैरवी के लिए अधिवक्ता श्री शिव शंकर पाठक एडवो0 को अधिकृत किया गया था , तथा अधिवक्ता महोदय द्वारा ही उक्त प्रकरण की पैरवी की जाती थी । दि0- 19-7-017, को प्रार्थी के अधिवक्ता महोदय प्रकरण मे पुकार के समय दूसरे न्याया0 मे न्यायालयीन कार्यवाही मे व्यस्थ होने की वजह से माननीय

(मेमोरण्डम पेश किया गया है)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0**III.**पुर्नस्थापन/रीवा/भू–रा0/2017/**2754** जिला–रीवा

रामबदन द्विवेदी/हरिशंकर द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
23.01.18	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	